सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 14/12 **निर्णय दिनांक 21.03.2018**

1. बोधराज
2. सोहनलाल
3. जड़ाव
4. चम्पा

पुत्र/पुत्रियॉ पुरखाराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. गोरधन पुत्र माणकराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
3. रामलाल पुत्र गोकुलराम जाति हरिजन निवासी बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः 15/12

1. बोधराज
2. सोहनलाल
3. जड़ाव
4. चम्पा

पुत्र/पुत्रियॉ पुरखाराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी रिड़मलसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
3. सतपाल पुत्र जगीरसिंह जाति बावरी निवासी 28 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय दिनांक 22–02–2012
जिला कलेक्टर, बीकानेर

–2–

उपस्थितः
1. श्री आर.के.दास.गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22–02–2012 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील निरस्त की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 (ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स के पिता पुरखाराम को ग्राम शिवबाड़ी तहसील बीकानेर की रोही स्थिति खेत खसरा नम्बर 605/178 मिन तादादी 15 बीघा भूमि सवंत् 2022 में टी.सी. आवंटन हुई थी। पुरखाराम के जीवनकाल में पुरखाराम का तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर बतौर गैर खातेदार टीनेन्ट व कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का आज भी कब्जा काश्त बदस्तूर है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इस प्रकार से कब्जा अंकित रहा है। राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2024 से 2028 तथा संवत् 2045 में पुरखाराम का नाम बतौर गैर खातेदार अंकित है।

वादगत् भूमि ग्राम शिवबाड़ी उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बाद पुराने खसरा नम्बर 605/178 तादादी 15 बीघा के नये खसरा नम्बर

143 तादादी 9.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 144 तादादी 9.15 बीघा पैमूद हुए। वादगत् भूमि पुरखाराम की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स के नाम विरासतन इंतकाल संख्या 263 दिनांक 03–07–2005 बतौर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि के हाऊसिंह बोर्ड के अधीन जाने की स्थिति में अपीलांट द्वारा नकलें प्राप्त करने पर उसे ज्ञात हुआ कि पुराना खसरा नम्बर 605/178 जिसके नये खसरा नम्बर 143 की 9.05 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल व खसरा नम्बर 144 तादादी 9.15 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट गोरधन को टीसी आवंटन पर वर्ष 1976–77 में एक साल के लिए दिनांक 23–08–1976 को आवंटित कर दी गई।

प्रश्नगत् भूमि जब पूर्व में ही अपीलांट्स के पिता पुरखाराम को टीसी से आवंटित थी तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की भूमि थी। कानूनन भी आवंटन के 10 वर्ष उपरान्त अपीलांट को आवंटित भूमि की स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो जाती है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन किया जाना गैर काननी व विधि विरूद्व है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा समस्त कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर की गई है। जो नियम विरूद्व कार्यवाही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रश्नगत् भूमि की खातेदारी तहसीलदार, बीकानेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 23–08–1976 को स्वीकृत की गई जिसके विरूद्व पृथक से अपील प्रस्तुत की गई है। आवंटन एवं खातेदारी की कार्यवाही दोनों भिन्न–भिन्न कार्यवाहियॉ है। जिसके लिए पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत का यह कथन कि खातेदारी अधिकार हेतु अपील पृथक से प्रस्तुत की गई है अतः इस अपील का कोई विधिक औचित्य नहीं है, कतई गलत व स्वेच्छापूर्ण आदेश होन से खारिज योग्य आदेश है।

अदालत मातहत का यह कथन कि चूंकि अपीलांट ने प्रश्नगत् भूमि के संबंध में अपने अधिकारों की धोषणा हेतु नियमित वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है अतः प्रश्नगत् अपील में आगामी कार्यवाही किये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है, कतई गलत व अनुचित है। धोषणात्मक दावा प्रस्तुत करने से इस अपील की सुनवाई में कोई बाधा नहीं है क्योंकि दोनों कार्यवाहियॉ पृथक–पृथक न्यायालयों में विचाराधीन है। वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी में आवंटित होने व वादगत् भूमि आक्यूपाईड लैण्ड के रहते रेस्पोडेन्ट्स को टीसी आवंटन किया जाना एबईनिशियोवाईड, शून्य एवं प्रारम्भ से ही प्रभावहीन आदेश है। अतः अपीलांट की अपीलें मंजूर की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने दोनों अपीलों में बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार, बीकानेर के आदेश दिनांक 23–08–1976 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम. 1956 के तहत अदालत मातहत के समक्ष अपील दिनांक 29–11–2010 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपीलें 1976 के टीसी आवंटन के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। जो की स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपीलें थी।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट्स ने अपने अधिकारों की धोषणा हेतु नियमित वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 23–08–1976 को टीसी में आवंटित हुई थी। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त हो गई थी। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि का इंतकाल भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में स्वीकृत किया जा चुका है। अपीलांट्स द्वारा उक्त खातेदारी के संबंध में राज्य की और से रेफरेन्स भी राजस्व न्यायालय में दायर कर रखा है जो वर्तमान में जैरकार है।

ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय में अपीलांट की और से दायर वाद व राज्य द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के विचाराधीन रहते अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई

विधिक अधिकार हासिल नहीं है तथा उक्त अपीलों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 22–02–2012 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई थी। उक्त निगरानी का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 09–05–2002 को करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि नियमित वाद एवं रेफरेन्स के निर्णय के आधार पर ही पक्षकारान् के अधिकारों का निर्धारण होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को इन अपीलों के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होना है। अतः अपीलांट्स की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स के पिता पुरखाराम को ग्राम शिवबाड़ी तहसील बीकानेर की रोही स्थिति खेत खसरा नम्बर 605/178 मिन तादादी 15 बीघा भूमि सवंत् 2022 में टी.सी. आवंटन हुई थी। पुरखाराम के जीवनकाल में पुरखाराम का तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर आज भी कब्जा काश्त बदस्तूर है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इस प्रकार से कब्जा अंकित रहा है। राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2024 से 2028 तथा संवत् 2045 में पुरखाराम का नाम बतौर गैर खातेदार अंकित है। वादगत् भूमि ग्राम शिवबाड़ी उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बाद पुराने खसरा नम्बर 605/178 तादादी 15 बीघा के नये खसरा नम्बर 143 तादादी 9.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 144 तादादी 9.15 बीघा पैमूद हुए। वादगत् भूमि पुरखाराम की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स के नाम विरासतन इंतकाल संख्या 263 दिनांक 03–07–2005 बतौर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादगत् भूमि के हाऊसिंह बोर्ड के अधीन जाने की स्थिति में अपीलांट को ज्ञात हुआ कि पुराना खसरा नम्बर 605/178 जिसके नये खसरा नम्बर 143 की 9.05 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल

व खसरा नम्बर 144 तादादी 9.15 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट गोरधन को टीसी आवंटन पर वर्ष 1976–77 में एक साल के लिए दिनांक 23–08–1976 को आवंटित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अदालत मातहत के समक्ष अपीलें अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

(2) मामलें में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कथन है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 23–08–1976 को टीसी में आवंटित हुई थी। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त हो गई थी। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि का इंतकाल भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में स्वीकृत किया जा चुका है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन आदेश व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की वादगत् भूमि की खातेदारी के संबंध में राजस्व न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है व राज्य की तरफ से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा वादगत् भूमि के संबंध में राजस्व वाद व रेफरेन्स आज दिनांक को भी न्यायालय में जैरकार है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स की अपीलें इस आधार पर खारिज की गई है कि प्रश्नगत् भूमि के संबंध में तहसीलदार, बीकानेर के खातेदारी आदेश दिनांक 28–06–2006 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की हुई है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। चूंकि वादगत् भूमि के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की धोषणा नियमित राजस्व वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलों में आगामी कार्यवाही किये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं होने के कारण अपीलांट्स की अपीलें खारिज की गई।

(5) मामलें में अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 22–02–2012 के विरूद्व रिविजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिविजन में अपीलांट्स स्वयं द्वारा यह कथन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा खातेदारी दिये जाने के आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था तथा एक नियमित वाद भी सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था।

ऐसी स्थिति में उक्त रेफरेन्स व वाद की कार्यवाही अंतिम होने तक अपील को लम्बित रख सकते थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपीलांट्स इस तथ्य से सहमत है कि प्रश्नगत् भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद व रेफरेन्स में तय होना है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी दिनांक 09–05–2002 को करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि जा चुका है कि नियमित वाद एवं रेफरेन्स के निर्णय के आधार पर ही पक्षकारान् के अधिकारों का निर्धारण होगा।

(6) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित हो चुका है कि वादगत् भूमि के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद व रेफरेन्स जो कि वर्तमान में विचाराधीन व जैरकार है, के तहत तय होना है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश में अपील खारिज करने के भाग को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील की अपीलें निष्प्रभावी धोषित की जाती है व पक्षकार नियमित वाद व रेफरेन्स में पारित निर्णयों के आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर